भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3530
10 दिसम्बर, 2019 को उत्तर देने के लिए

मेक इन इंडिया कार्यक्रम

3530. डॉ. टी.आर.पारिवेन्धर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत एक मुख्य क्षेत्र के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सरकार की पहल 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को चैम्पियन सैक्टरों में से एक के रूप में शामिल किया गया है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समग्र वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से खाद्य प्रसंस्करण की समग्र मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला अर्थात खेत से लेकर उपभोक्ता तक आधुनिक अवसंरचना सृजित करने के लिए 14वें वित्त आयोग की सह-समाप्ति के साथ वर्ष 2016-20 तक की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्र की एक अम्ब्रेला स्कीम - प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन करता रहा है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मेक इन इंडिया 2.0, के अंतर्गत 42 मेगा फूड पार्कों, 138 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को पूर्ण करने और 100 नई शीत श्रृंखला, 50 बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिकेंज, 100 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं और 400 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को स्वीकृति देने की परिकल्पना की है । इसके अलावा, इसने मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की भी परिकल्पना की है ।

(ग) से (ड.): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास स्कीम (आरएण्डडी) का कार्यान्वयन करता रहा है जो अम्ब्रेला स्कीम पीएमकेएसवाई के अतंर्गत मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम के घटकों में से एक घटक है । आरएण्डडी स्कीम के अतंर्गत उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, उपकरणों की डिजाइन और विकास, उन्नत भंडारण, शेल्फ लाइफ तथा पैकेजिंग इत्यादि के लिए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में मांग प्रेरित आरएण्डडी कार्य को प्रोत्साहन और शुरू करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीज), केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थानों, सरकार द्वारा वित्तपोषित संगठनों, आरएण्डडी प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र में विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त आरएण्डडी यूनिटों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

इस प्रकार के अनुसंधान कार्यकलापों को संचालित करने के लिए सरकारी संगठन/संस्थान/ विश्वविद्यालय उपकरणों, उपभोज्य वस्तुओं की लागत तथा परियोजना विशिष्ट स्टॉफ के वेतन आदि से संबंधित व्यय के लिए 100% की अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं, जबकि निजी संगठन/संस्थान/ विश्वविद्यालय सामान्य क्षेत्रों में उपकरणों की लागत के 50%, और दुर्गम क्षेत्रों में 70% की अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं ।

******